(जिला राजस्व शाखा)
(आम सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खगड़िया जिलान्तर्गत स्तम्भ 'क' के स्थित अप्रैल सिरीज के निम्न अंचलों में पड़ने वाले सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2017–18 के लिए की जानी है। सैरात बन्दोबस्ती राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी। सभी सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु अनुवर्ती तिथि भी निर्धारित की गई है, जो स्तम्भ 'क' के कॉलम संख्या–06 में अंकित है :–

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति राशि सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत	बन्दोबस्ती की तिथि / अनुवर्ती तिथि / समय / स्थल
1	2	3	4	5	6
1	गोगरी	महेशखूँट झिकटिया हाट	3,21,057=00	32,106=00	तिथि / समय :– 27.03.2017, 3:00 बजे अप0 प्रथम अनुवती तिथि / समय :– 28.03.2017, 03:00 बजे अप0 द्वितीय अनुवर्ती तिथि / समय :– 29.03.2017, 03:00 बजे अप0 स्थल – समाहरणालय सभाकक्ष, खगड़िया
2	अलौली	अलौली बस पड़ाव	9,32,650=00	93,265=00	
3	बेलदौर	बेलदौर हाट	1,17,869=00	11,787=00	
4	खगड़िया	72.56 एकड़ में लगे फलकर	5,32,574=00	53,257=00	
5	खगड़िया	प्रखंड–सह–अंचल परिसर में लगे फलकर	97,865=00	9,787=00	
6	खगड़िया	42 एकड़ में लगे फलकर (समाहर्त्ता आवास)	59,513=00	5,951=00	
7	परबत्ता	परबत्ता हाट	52,950=00	5,295=00	

शर्त्तें

1. बन्दोबस्ती के पूर्व बन्दोबस्ती में भाग लेने के डाक वक्ता को जिला नजारत में प्रतिभूति राशि स्तम्भ "क" की कॉलम 05 में दी गई विवरणी के अनुसार जमा करनी होगी। बन्दोबस्ती में असफल व्यक्ति को बन्दोबस्ती के बाद प्रतिभूति की राशि वापस कर दी जायेगी।
2. बन्दोबस्ती में वैसे व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकाएदार नहीं होगें।
3. इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से अपने आचरण एवं पूर्वकृत के संबंध में एक प्रमाण–पत्र, एवं पहचान पत्र आवासीय पता सहित प्रस्तुत करेगें।
4. बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले को किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
5. बन्दोबस्तदार को बन्दोबस्ती की राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा एवं शेष राशि बन्दोबस्ती की अवधि के प्रथम तीन माह के अन्दर जमा करना होगा।
6. हाटों / बस स्टैंड की बन्दोबस्ती वर्त्तमान में स्थित राजस्व हाट / बस स्टैंड की जितनी जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जायेगी और ग्राउन्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अंदर ही की जायेगी।
7. हाट / बस स्टैंड की जमीन को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट / बस स्टैंड की साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था बन्दोबस्तधारी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में कोई राजनीतिक सभा बिना अनुमति के आयोजित नहीं की जायेगी।
8. हाट / बस स्टैंड की जमीन पर स्थाई संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना बन्दोबस्तधारी की जिम्मेदारी होगी।
9. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट / बस स्टैंड में अस्थाई / स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नही होने दिया जायेगा। इसकी जबावदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
10. किसी भी हाट / बस स्टैंड / फलकर लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
11. हाट ग्राउन्ड रेंट की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गयी बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेगें। ग्राउन्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।

12. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री न होने दें। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेगें। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
13. डाक होने की स्थिति में डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं मुद्रांक/निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करनी होगी अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोबस्ती अस्वीकृत करने अथवा हाट की निलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ह०/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक................................./रा0, दिनांक../

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे आग्रह है कि इस अल्प कालीन निविदा सूचना का प्रकाशन कम से कम दो हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रों मे निश्चित रूप से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय ।

ह०/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक................................./रा0, दिनांक../

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर एवं सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक................................./रा0, दिनांक../

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/जिला नजारत पदाधिकारी, खगड़िया एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/–
समाहर्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक................................./रा0, दिनांक../

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार में प्रकाशित आम सूचना का दो दैनिक समाचार पत्र का प्रेस–कतरन जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर से ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य माध्यम से बन्दोवस्ती संबंधी आम सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे।

ह०/–
समाहर्ता,
खगड़िया ।

ज्ञापांक................................/रा0, दिनांक...

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अप्रैल सिरिज सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2017–18 के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार भी अपने स्तर से करेंगे।

ह०/–
समाहर्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक.......210........./रा0, दिनांक.......15.03.2017......./

प्रतिलिपि :– जिला सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को जिले के बेवसाईट पर प्रचारार्थ अपलोड करना सुनिश्चित करें।

समाहर्ता,
खगड़िया।